पुलिस आदेश सं. __244__/94

पटना जिला में वरीय आरक्षी अधीक्षक के अलावे यातायात, नगर एवं ग्रामीण आरक्षी अधीक्षक के पद भी सृजित हैं जो आरक्षी अधीक्षक स्तर के हैं । इनके बीच कार्यों का बंटवारा वर्त्तमान पुलिस आदेश संख्या-26 एवं पुलिस मुख्यालय के ज्ञाप संख्या-5413/एक्स.एल. दिनांक 8.5.1957 तथा पुलिस आदेश सं. -234/92 एवं पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक 2565/एक्स.सी. दिनांक 22.5.92 के द्वारा किया गया है । आरक्षी अधीक्षक अपने कार्यों को पूर्ण क्षमता एवं दक्षता पूर्वक सम्पादित करें । इसके लिये इसे अधिक सुस्पष्ट कर उनके बीच कार्यों का बंटवारा होना आवश्यक है । अतः गहराई से विचारोपरांत उपर्युक्त पदाधिकारियों के बीच कार्यों का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाता है ।

2. इस पुलिस आदेश के प्रभावी होने पर पुलिस आदेश संख्या-26 तथा पुलिस मुख्यालय के उपर्युक्त सभी ज्ञापांक स्वतः विलोपित हो जायेंगे ।

3. इस पुलिस आदेश का प्रमुख लक्ष्य है कि विभिन्न आरक्षी अधीक्षकगण वितरित कार्यों को जिम्मेवारी पूर्ण ढंग से करेंगे जिससे आपस में किसी तरह की गलतफहमी न हो साथ ही इसका लक्ष्य यह भी स्पष्ट करना है कि जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में वरीय आरक्षी अधीक्षक जिला पुलिस के प्रधान है एवं उन्हीं के नेतृत्व एवं जिम्मेवारी में जिला पुलिस का कार्य होना है ।

वरीय आरक्षी अधीक्षक

1. निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण :-

(क) महत्वपूर्ण पोस्टों का निरीक्षण :- वरीय आरक्षी अधीक्षक कुल पोस्टों के कम-से-कम 15 प्रतिशत पोस्टों का निरीक्षण स्वयं करेंगे ।

(ख) वरीय आरक्षी अधीक्षक की अध्यक्षता में नगर आरक्षी अधीक्षक, आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण और आरक्षी अधीक्षक यातायात एक गोष्ठी करेंगे और वरीय आरक्षी अधीक्षक सभी से विचार-विमर्श करके निर्णय लेंगे कि कौन पदाधिकारी कौन से पोस्ट का निरीक्षण करेंगे । यह अंतिम निरीक्षण प्रोग्राम वर्ष में शुरु में ही बनाया जायेगा । जिन पोस्टों को वरीय आरक्षी अधीक्षक संबंधित वर्ष में चुनेंगे उन पोस्टों का निरीक्षण ग्रामीण, नगर एवं यातायात के आरक्षी अधीक्षकों द्वारा नहीं किया जायेगा । वे अन्य थाना/पोस्टों पर अपना ध्यान केन्द्रीत करेंगे । वरीय आरक्षी अधीक्षक को यह छूट रहेगी कि आवश्यकतानुसार वे उन पोस्टों का

भी निरीक्षण कर सकते हैं जिनका निरीक्षण उनके आरक्षी अधीक्षक द्वारा हो किया जा चुका है या भविष्य में किया जाने वाला है ।

{ग} पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण

{घ} डी. सी. बी. के मामले पर निरीक्षण एवं निर्देश

{ङ} प्रायः देखा जाता है कि निरीक्षण के बाद अनुपालन के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । अतः समादेष्टा द्वारा निरीक्षण का अनुप्रतिवेदन उन्हीं आरक्षी अधीक्षकों को उपलब्ध किया जाय जिन्होंने इस स्तर का निरीक्षण किया है ताकि अनुपालन का चेकिंग किया जा सके । क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक और क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक तथा उनके सहायक द्वारा जो निरीक्षण किया जायेगा, उसका अनुपालन वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा कराया जायेगा ।

{च} महत्त्वपूर्ण विशेष प्रतिवेदित कांडों के अनुसंधान का समीक्षा अनुसंधान पर नियंत्रण जिसका संकेत वरीय आरक्षी अधीक्षक देते हैं कांडों के अंतिम प्रपत्र का आदेश वरीय आरक्षी अधीक्षक करेंगे ।

{छ} मासिक /त्रैमासिक अपराधों की समीक्षा ।

{ज} अपराध दैनन्दनी का अवलोकन ।

{झ} अनुसंधानान्तर्गत लंबित कांडों की सूची की समीक्षा करना ।

वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन ।

लेखा

{क} पेन्शन एवं उपादान ।

{ख} आरक्षी निरीक्षक एवं अनुमंडल पदाधिकारी/ आरक्षी उपाधीक्षकों का यात्रा भत्ता विपत्र । इनका यात्रा विपत्र संबंधित आरक्षी अधीक्षकों द्वारा वरीय आरक्षी अधीक्षक को अनुशंसित और अग्रसारित किया जायेगा ।

{ग} लेखा का त्रैमासिक निरीक्षण ।

{घ} बजट ।

{च} व्यय- विवरणी ।

{छ} अपने विवेक के अनुसार पूरे जिला के पदाधिकारियों एवं बल पुरस्कार स्वीकृत करना ।

5. गृह रक्षकों के संदर्भ में सभी मामले ।

6. पत्राचार ।

(क) वरीय पदाधिकारियों के साथ ।

(ख) वैसे पत्राचार , आरक्षी अधीक्षक नगर/ग्रामीण/यातायात द्वारा प्रसांगित किये गये हों ।

7. स्थापना

(क) अनुशासन एवं सामान्य प्रशासन ।

(ख) जिला स्थापना ।

(ग) आर्थिक एवं विवरणी ।

(घ) जिला सशस्त्र पुलिस के सभी कार्य ।

(च) सिपाही/हवलदार को छोड़कर सभी पंक्तियों के पदाधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिये संबंधित आरक्षी अधीक्षक जिनके यहां रिक्तियां होंगी वे वरीय आरक्षी अधीक्षक से सलाह लेकर एक गोष्ठी आयोजित करेंगे जिसमें जिला के अन्य आरक्षी अधीक्षगण भी बुला लिये जायेंगे और सभी के परामर्श के बाद ही स्थानांतरण एवं पदस्थापन पर वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

(छ) गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति का आलेखन ।

सहायक अवर निरीक्षक , अवर निरीक्षक , आरक्षी निरीक्षक तथा आरक्षी उपाधीक्षक को गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति संबंधित आरक्षी अधीक्षकों द्वारा प्रारंभ किया जायेगा और उसे वरीय आरक्षी अधीक्षक के पास आलेखित करने के लिये भेजी जायेगी । सिविल जमादार , दफादार , परिचारी एवं परिचारी प्रवर को भी गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति दोनों पदाधिकारी आलेखित करेंगे लेकिन जो कनीय होंगे वे प्रारंभ करेंगे और आलेखित कर वरीय आरक्षी अधीक्षक को आलेखित करने के लिये भेजेंगे ।

(ज) डी. ए. पी. के सभी सम्वर्ग का कार्यभार वरीय आरक्षी अधीक्षक देखेंगे और डी. ए. पी. के अवकाश की स्वीकृति भी उन्हीं के द्वारा की जायेगी ।

(झ) लाईन में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों के अवकाश की स्वीकृति वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा की जायेगी ।

8. शस्त्रागार एवं अन्य भंडार ।

(क) भंडार की जांच एवं उससे संबंधित सभी तरह के पत्राचार ।

(ख) अस्त्र-शस्त्र एवं गोलाबारूद का वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन ।

(ग) सभी आईटम का इन्डेन्ट करना (क्वार्टरिंग सहित) ।

(घ) डी.ए.पी. क्वार्टरिंग भंडार का निश्चित कालिक सत्यापन ।

9. परिवहन

(क) चालक के प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात ।

(ख) नये वाहन के लिये इन्डेन्ट करना ।

(ग) वृहत्त मरम्मति ।

(घ) दुर्घटना ।

10. गोपनीय

(क) गोपनीय शाखा का सम्पूर्ण प्रभार ।

(ख) विदेशी शाखा का सम्पूर्ण प्रभार ।

11. अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रभार वरीय आरक्षी अधीक्षक के जिम्मे रहेगा ।

12. वरीय आरक्षी अधीक्षक को यह प्राधिकृत किया जाता है कि वह कोई कार्य जो महानिदेशक के आदेश के अन्तर्गत नहीं आता है, को नगर आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण या आरक्षी अधीक्षक, यातायात को करने के लिए प्रधिकृत कर सकते हैं ।

13. अवकाश

(क) वरीय आरक्षी अधीक्षक के अवकाश की स्वीकृति जिला पदाधिकारी की सहमति से क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक करेंगे ।

(ख) नगर, ग्रामीण एवं यातायात आरक्षी अधीक्षक को आकस्मिक एवं क्षतिपूर्ति अवकाश क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा । इस संबंध में वरीय आरक्षी अधीक्षक को भी सूचना दे दी जायेगी ।

(ग) आरक्षी उपाधीक्षक/सहायक आरक्षी अधीक्षक का अवकाश वरीय आरक्षी अधीक्षक संबंधित आरक्षी अधीक्षक की अनुशंसा पर स्वीकृत करेंगे और संबंधित आरक्षी अधीक्षक को लिखित सूचना दे देंगे ।

14. विविध महत्वपूर्ण

(क) जिला के सम्पूर्ण प्रभार में वरीय आरक्षी अधीक्षक रहेंगे ।

(ख) नगर आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण, आरक्षी अधीक्षक, यातायात वरीय आरक्षी अधीक्षक के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेंगे ।

(ग) जिला पुलिस बल में अनुशासन बनाये रखने की सर्वोपरि जिम्मेवारी वरीय आरक्षी अधीक्षक की होगी । अन्य सभी आरक्षी अधीक्षक उनको सहयोग करेंगे ।

(घ) विभागीय कार्यवाही का निष्पादन वही आरक्षी अधीक्षक करेंगे, जिनके द्वारा शुरू की गई है लेकिन आरक्षी/उपवलदार पंक्ति में बर्खास्तगी की सजा का आदेश तीनों आरक्षी अधीक्षकगण वरीय आरक्षी अधीक्षक से अनुमोदित करा लेंगे क्योंकि नियमित रूप से जिला आरक्षी अधीक्षक होने के नाते वरीय आरक्षी अधीक्षक निपुक्ति पदाधिकारी होते हैं ।

(च) सप्ताह में एक बार पुलिस पैरेड में भाग लें ।

(छ) दो महीने पर नियमित रूप से पुलिस सभा को सम्बोधित करेंगे ।

समन्वय

(i) उल्लेखित सभी आरक्षी अधीक्षक सप्ताह में एक बार मिलेंगे तथा आपस में समन्वय बनाये रखेंगे ।

(ii) क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक महीना में एक बार सभी आरक्षी अधीक्षकों को बुलायेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि उनमें समन्वय है ।

(iii) वरीय आरक्षी अधीक्षक के छुट्टी या अन्य कार्यों में जिला से बाहर प्रस्थान करने पर जिला के प्रभार में वर्तमान वरीयतम आरक्षी अधीक्षक प्रभार में रहेंगे ।

नगर आरक्षी अधीक्षक

1. निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण :-

(क) क्षेत्राधिकार के अन्दर पोस्टों का निरीक्षण(उन पोस्टों को छोड़कर जिनका निरीक्षण वरीय आरक्षी अधीक्षक करने वाले हैं) । निरीक्षण का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

(ख) प्रभार के सभी विशेष प्रतिवेदित एवं अविशेष प्रतिवेदित की समीक्षा एवं नियंत्रण/अपराध समीक्षा/लंबित अनुसंधानान्तर्गत कांडों के महत्वपूर्ण विषयों से वरीय आरक्षी अधीक्षक को अवगत कराना ।

(ग) प्रभार के अपराध कार्यालय के कागजात यथा-अपराध पंजी/एफ. आई. आर. एफ. एम. /दैनिक प्रतिवेदन/कांड दैनिकी का अवलोकन/पुरस्कार फार्म/डी. यू. टी. /चौकीदार संबंधी मामले/बर्गलरी चार्ट/भगोड़ा एवं डकैती पंजी/अपराध नियंत्रण/अग्रिम पेट्रोलिंग आदि पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण ।

(घ) हिन्दी शाखा नगर आरक्षी अधीक्षक के क्षेत्राधिकार से संबंधित सभी कांड का अभिलेख अपराध अनुक्रमणी इत्यादि उनके समक्ष सीधे उपस्थापित करेंगे ।

(ड.) जिला के डी. सी. बी. में क्षेत्राधिकार से संबंधित अभिलेखों को अद्यतन रहे इसे सुनिश्चित करना ।

(च) क्षेत्राधिकार के अंदर बन्दूक का लायसेंस ।

2. चौकीदारी :- अपने क्षेत्राधिकार के अंदर दफादार एवं चौकीदार के संबंध में पत्राचार । "जी" एवं "एच" फार्म का निष्पादन ।

3. परिवहन

4. सामान्य पत्राचार :- उपाधीक्षक की सहायता से वरीय पदाधिकारियों के साथ पत्राचार ।

5. स्थापना :-

(क) साधरण बल के सम्पूर्ण भार में रहेंगे । क्षेत्राधिकार के अंदर सिपाही एवं हवलदारों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन (डी. ए. पी. को छोड़कर) । सिपाही एवं हवलदार का प्रार्थना पर विचार करना ।

(ख) क्षेत्राधिकार के अंदर पदस्थापित बल का अर्दली रूम करना ।

(ग) अग्निशाम सेवा ।

(घ) अपने क्षेत्राधिकार के सहायक अवर निरीक्षक/अवर निरीक्षक/आरक्षी निरीक्षक/आरक्षी उपाधीक्षक/सहायक आरक्षी अधीक्षक की गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति का प्रारंभ करना और वरीय आरक्षी अधीक्षक का अग्रसरित करना । लाईन के सिविल जमादार/सुबेदार/परिचारी/परिचारी प्रवर की गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति का प्रारंभ करना । आरक्षी कार्यालय में पदस्थापित सभी लिपिकों एवं प्रधान लिपिक (लेखा छोड़कर) की गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति अंकित कर वरीय आरक्षी अधीक्षक को भेजेंगे ।

(च) आरक्षी निरीक्षक की मासिक कार्य संक्षिप्त विवरणी की समीक्षा करेंगे । अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित आरक्षी उपाधीक्षक/सहायक आरक्षी अधीक्षक की मासिक कार्य विवरणी की समीक्षा करके उसकी एक प्रति वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक को देंगे और सहायक आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी उपाधीक्षक पटना सिटी की मासिक कार्य विवरणी की समीक्षा नगर आरक्षी अधीक्षक करेंगे और सहायक आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी उपाधीक्षक, दानापुर का आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण

6. गोपनीय :- क्षेत्राधिकार से संबंधित डब्लू. सी. डी. का आलेखन, जिसे वरीय आरक्षी अधीक्षक के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्न किया जायेगा । क्षेत्राधिकार से प्राप्त डब्लू. सी. डी. का निष्पादन ।

7. अवकाश :-

(क) अवकाश की स्वीकृति क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी लेकिन अवकाश पर जाने की सूचना वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी को दी जायेगी ।

(ख) क्षेत्राधिकार में पदस्थापित सभी पदाधिकारी एवं आरक्षी बल (डी. ए. पी. को छोड़कर) क्षतिपूर्ति अवकाश की स्वीकृति करेंगे । जब भी थाना प्रभारी का अवकाश स्वीकृत करेंगे तो वरीय आरक्षी अधीक्षक को लिखित में सूचना देंगे ।

(ग) आरक्षी उपाधीक्षक/सहायक आरक्षी अधीक्षक का अवकाश इनके माध्यम से वरीय आरक्षी अधीक्षक स्वीकृत करेंगे ।

8. निलम्बन :-

(क) अपने क्षेत्राधिकार के अवर निरीक्षक और उनके नीचे के पदाधिकारी (आरक्षी एवं हवलदार) को निलंबित कर सकते हैं ताकि बल में अनुशासन कायम रहे । पुलिस लाईन के पदाधिकारियों का निलंबन इत्यादि वरीय आरक्षी अधीक्षक से विमर्श करके करेंगे ।

(ख) क्षेत्राधिकार के अंदर पुलिस एवं बल के विरुद्ध आरोपों का जांच अन्तर कार्रवाई एवं महत्वपूर्ण तथ्यों से वरीय आरक्षी अधीक्षक को अवगत रखना ।

9. विविध :-

(क) नगर आरक्षी अधीक्षक वरीय आरक्षी अधीक्षक के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेंगे ।

(ख) अपने क्षेत्राधीन पदस्थापित अवर निरीक्षक और नीचे के पदाधिकारी और आरक्षी/ हवलदार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करना एवं उचित आदेश दे सकते हैं । बर्खास्तगी की सजा का वरीय आरक्षी अधीक्षक से अनुमोदित करा लेंगे क्योंकि नियमित रूप से जिला आरक्षी अधीक्षक होने के नाते वरीय आरक्षी अधीक्षक नियुक्ति पदाधिकारी होते हैं ।

(ग) सप्ताह में एक बार पुलिस परेड में भाग लेंगे जिसमें वरीय आरक्षी अधीक्षक या आरक्षी अधीक्षक, सामान्यतः भाग नहीं लेते हों ।

(घ) पुलिस सभा के समय उपस्थित रहेंगे ।

(ङ) अपने विवेक के अनुसार क्षेत्राधिकार के पदाधिकारियों एवं बल को पुरस्कार स्वीकृत करना ।

आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण

1. निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण

(क) अपने क्षेत्राधिकार के अंदर हर पोस्ट का निरीक्षण। अपने निरीक्षण का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

(ख) प्रभार के सभी विशेष प्रतिवेदित एवं अविशेष प्रतिवेदित कांडों का पर्यवेक्षण। महत्वपूर्ण कांडों/लंबित अनुसंधानान्तर्गत कांडों अपराध समीक्षा से वरीय आरक्षी अधीक्षक को अवगत रखना।

(ग) प्रभार के अपराध कार्यालय के कागजात यथा-अपराध पंजी/एफ. आई. आर. एफ. एम/दैनिक प्रतिवेदन/कांड दैनिकी का अवलोकन/पुरस्कार फार्म/ डी. यू. टी./ चौकीदारी संबंधी मामले बर्गलरी चार्ट/झगड़ा एवं डकैती पंजी/अपराध नियंत्रण/ अग्रिम पेट्रोलिंग चार्ट आदि पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।

(घ) हिन्दी शाखा आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण के क्षेत्राधिकार से संबंधित सभी कांडों का अभिलेख अपराध अनुक्रमणी इत्यादि उनके समक्ष सीधे उपस्थापित करेंगे।

(ङ) जिला के डी. सी. बी. में क्षेत्राधिकार से संबंधित अभिलेख अद्यतन रहे इसे सुनिश्चित करना।

(च) क्षेत्राधिकार के अंदर पुलिस एवं बल के विरुद्ध आरोपों का जांच एवं महत्वपूर्ण तथ्यों से वरीय आरक्षी अधीक्षक को अवगत रखना।

(छ) क्षेत्राधिकार के अंदर बन्दूक लायसेंस।

2. चौकीदारी :- अपने क्षेत्राधिकार के अंदर दफादार एवं चौकीदार के संबंध में "जी" एवं "पी" फार्म का निष्पादन।

3. स्थापना :-

(क) क्षेत्राधिकार के अंदर (डी. ए. पी. को छोड़कर) सिपाही एवं हवलदार का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन।

(ख) क्षेत्राधिकार के अंदर पदस्थापित बल का अर्दली रूम।

(ग) अन्य विधि कार्य जिसे करने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

(घ) अपने क्षेत्राधिकार के सहायक अवर निरीक्षक/अवर निरीक्षक/आरक्षी निरीक्षक/आरक्षी उपाधीक्षक/सहायक आरक्षी अधीक्षक को गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति का प्रारंभ करना और वरीय आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करना। लाईन के सिविल जमादार/सुबेदार/परिचारी/परिचारी प्रवर को गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति का प्रारंभ करना। आरक्षी कार्यालय में पदस्थापित सभी लिपिकों एवं प्रधान लिपिक को

गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति अंकित कर वरीय आरक्षी अधीक्षक को भेजेंगे । लेखा शाखा के लिपिकों का गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति प्रारंभ करेंगे ।

(च) आरक्षी निरीक्षक को मासिक कार्य विवरणी की समीक्षा । आरक्षी उपाधीक्षक/सहायक आरक्षी अधीक्षक को मासिक कार्य विवरणी की समीक्षा करके उसकी एक प्रति वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक को देंगे और सहायक आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी उपाधीक्षक दानापुर/बाढ़ की मासिक कार्य विवरणी की समीक्षा आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण करेंगे और सहायक आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी उपाधीक्षक, पटना सिटी कानगर आरक्षी अधीक्षक, करेंगे ।

4. भण्डार :-

(क) डी. ए. पी. क्लोदिंग स्टोर को छोड़कर जिला क्लोदिंग स्टोर का सामयिक सत्यापन ।

(ख) अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी के यात्रा दैनन्दिनी की समीक्षा ।

5. अवकाश :-

(क) आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण का अवकाश क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक स्वीकृत करेंगे और इसकी सूचना वरीय आरक्षी अधीक्षक और जिलाधिकारी को दी जायेगी ।

(ख) अपने क्षेत्राधीन पदस्थापित सभी पदाधिकारियों (डी. ए. पी. को छोड़कर) का आकस्मिक/क्षतिपूर्ति अवकाश को स्वीकृति । थाना प्रभारी के अवकाश को स्वीकृति जब करेंगे तो वरीय आरक्षी अधीक्षक से विमर्श कर उन्हें भी लिखित रूप से सूचित करेंगे । आरक्षी उपाधीक्षक/सहायक आरक्षी अधीक्षक का अवकाश इनके माध्यम से वरीय आरक्षी अधीक्षक स्वीकृत करेंगे ।

6. निलम्बन :-

अपने क्षेत्राधीन अवर निरीक्षक और नीचे के पदाधिकारी और आरक्षी एवं हवलदार को निलंबित कर सकते हैं ताकि बल में अनुशासन कायम रहे । पुलिस लाईन के पदाधिकारी का निलंबन वरीय आरक्षी अधीक्षक से विमर्श करके करेंगे ।

7. विविध :-

(क) आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण वरीय आरक्षी अधीक्षक के मार्गदर्शन में काम करेंगे ।

(ख) अपने क्षेत्राधिकार में पदस्थापित अवर निरीक्षक और नीचे के पदाधिकारियों/आरक्षी एवं हवलदार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करना एवं उचित आदेश पारित कर सकते हैं । बर्खास्तगी की सजा का वरीय आरक्षी अधीक्षक से अनुमोदित करा लेंगे क्योंकि नियुक्ति एस. पी. जिला आरक्षी अधीक्षक होने के नाते वरीय आरक्षी अधीक्षक नियुक्ति पदाधिकारी होते हैं ।

§ग§ सप्ताह में एक बार पुलिस परेड में भाग लेंगे जिस दिन वरीय आरक्षी अधीक्षक या नगर आरक्षी अधीक्षक नहीं लेते हों ।

§घ§ पुलिस सभा के समय उपस्थित रहेंगे ।

§च§ लेखा :- जिला के सम्पूर्ण भार में वरीय आरक्षी अधीक्षक रहेंगे लेकिन दिन प्रति दिन के कार्यों के लिए वे अपने वित्तीय शक्ति को आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण को प्राधिकृत§डेलीगेट§ करेंगे । अतः लेखा शाखा के सभी पदाधिकारी आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण के अधीनस्थ कार्य करेंगे और उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण ही प्रारंभ करके वरीय आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे ।

§छ§ अपने विवेक के अनुसार क्षेत्राधिकार के पदाधिकारियों एवं बल को पुरस्कार स्वीकृत करना ।

आरक्षी अधीक्षक, यातायात

1. अधिकार क्षेत्र

पटना जिला में पदस्थापित अन्य आरक्षी अधीक्षक की भांति आरक्षी अधीक्षक यातायात का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण पटना जिला में रहेगा । यातायात स्थायी कार्य मुख्य रूप से पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ क्षेत्र में रहेगा ।

2. कार्य एवं उत्तरदायित्व

§क§ आरक्षी अधीक्षक, यातायात, पटना यातायात संगठन के पूर्ण प्रभारी रहेंगे । पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण वरीय आरक्षी अधीक्षक का रहेगा ।

§ख§ यातायात संगठन के कर्मियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन करेंगे जिस प्रकार नगर आरक्षी अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में करते हैं ।

§ग§ पटना यातायात के पदाधिकारी एवं कर्मियों पर पूर्ण अनुशासन रखेंगे ।

§घ§ अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों की गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति प्रारंभ करेंगे एवं उसे वरीय आरक्षी अधीक्षक के पास अग्रसारित करेंगे ।

§च§ पटना जिला के यातायात संबंधी सभी अपराध एवं वाहनों की चोरी के अपराधों के अनुसंधान का नियंत्रण रखेंगे ।

§छ§ जिला आरक्षी अधीक्षक की भांति यातायात संगठन के सभी वित्तीय शक्ति का प्रयोग करेंगे ।

§ज§ अपराध शाखा के कार्य में वरीय आरक्षी अधीक्षक को सहायता करना ।

§झ§ यातायात व्यवस्था के संबंध में वरीय आरक्षी अधीक्षक को सूचित करते हुए सीधे विशेष उप-महानिरीक्षक से पत्राचार करेंगे ।

(ट) यातायात आरक्षियों को कार्य कुशल प्रशिक्षण एवं चुस्त रखना प्रारक्ष आ0नि0, यातायात को उत्तरदायो बनायेंगे ।

(ठ) अपने क्षेत्राधिकार में पदस्थापित अवर निरोक्षक और नोचे के पदाधिकारियों/आरक्षो एवं हवलदार के विरुद्ध विभागोय कार्यवाहो प्रारंभ करना एवं उचित आदेश पारित कर सकते हैं । [illegible] को सता को वरोय आरक्षो अधीक्षक से अनुमोदित करा लेंगे क्योंकि नियमित रूप से जिला आरक्षो अधोक्षक होने के नाते वरोय आरक्षो अधोक्षक नियुक्ति पदाधिकारो होते हैं ।

(ड) अपने विवेक के अनुसार यातायात बल को पुरस्कार स्वोकृत करेंगे ।

(ढ) वरोय आरक्षो अधोक्षक द्वारा निर्धारित पोस्ट का निरोक्षण करेंगे ।

विजय जैन
(विजय जैन) 2/6/94
महानिदेशक-सह-आरक्षो महानिरोक्षक,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 2868 /एक्स.पो.
महानिदेशक-सह-आरक्षो महानिरोक्षक का कार्यालय, बिहार,
पटना, दिनांक 3 जून, 1994 ई0 ।

प्रतिलिपि:-

1. सभो आरक्षो अधोक्षक (रेलवे सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
2. सभो प्रक्षेत्रोय आरक्षो महानिरोक्षक (रेलवे सहित)/ सभो क्षेत्रोय आरक्षो उप-महानिरोक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
3. आरक्षो महानिरोक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना/आरक्षो महानिरोक्षक, सशस्त्र बल/आरक्षो महानिरोक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
4. सचिव, गृह (आरक्षो) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

विजय जैन 4/6/94
(विजय जैन)
महानिदेशक-सह-आरक्षो महानिरोक्षक,
बिहार, पटना ।